डी.ए.वी.सेनटेनरी पब्लिक स्कूल, टोहाना

प्रिय अभिभावकगण

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लम्बे अरसे से बंद स्कूलों को अब खोला जाएगा। स्कूलों की सिर्फ उच्च कक्षाएं और वह भी तय एसओपी का पालन करते हुए खोली जाएगी। इसके लिए छात्र–छात्राओं के माता–पिता की सहमति जरुरी होगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों की कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं आंशिक रुप से शुरु करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया है अनलॉक 4 के तहत केन्द्र सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर माता पिता की लिखित सहमति के बाद स्कूल जाकर अध्यापक की सलाह लेने की इजाजत दी है। ऐसा 21 सितम्बर 2020 से संभव हो सकेगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए यह आम सावधानियां बरतने के लिए कहा है–

* . लिखित अनुमति के बिना छात्र–छात्रा को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लिखित सहमति पत्र का प्रारुप नीचे पेज नम्बर 2 पर है।
* . फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
* . आपस में 6 फुट की दूरी रखनी होगी।
* . निरंतर अंतराल पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
* . भोजन करते हुए और छींकतें वक्त मुँह और नाक को ढकना होगा।
* . थूकना मना होगा।
* . स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग जरुरी है और जैसे ही तबीयत में कुछ खराबी हो तो तुरंत अध्यापक को रिपोर्ट करें।
* . सभी बच्चे अपनी–अपनी पानी की बोतल व सेनिटाइजर लाएंगें।
* . कोई भी बच्चा अपना लंच बाक्स, पेन, पैंसिल या अन्य कोई भी सामान अपने किसी भी सहपाठी से सांझा नहीं करेगा।

डॉ माला उपाध्याय
प्राचार्या

सहमति पत्र
(दिनांक 21.09.2020 से परामर्श हेतु स्कूल आने के संदर्भ में)

सेवा में

प्राचार्या महोदया,
डी.ए.वी. सैनटेनरी पब्लिक स्कूल,
टोहाना (फतेहाबाद)

माननीय महोदया

मैं..पिता/माता, कुमार/कुमारी.. .कक्षा..........................रोल नम्बर.............एडमिशन नम्बर...................अपने बच्चे को दिनांक 21.09.2020 से अपने अध्यापकों से पठन–पाठन के संदर्भ में परामर्श करने, मार्गदर्शन लेने हेतु स्कूल जाने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ।

तिथिः............................

स्थानः............................ (हस्ताक्षर)